

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम  
श्रेणी बैहर, बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 162 / 10  
संस्थित दिनांक 10.03.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र  
 मलाजखण्ड, जिली बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोजन

विरुद्ध

अब्दुल सिकंदर पिता अब्दुल हक  
 उम्र 32 साल जाति मुसलमान  
 निवासी-मोहगांव, थाना-मलाजखण्ड,  
 जिला-बालाघाट म0प्र0।

.....अभियुक्त

**-:: निर्णय ::-**

-::दिनांक **31.08.2016** को घोषित:-

1. उक्त नामांकित अभियुक्त अब्दुल सिकंदर पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 12.01.2010 को समय करीब 21:30 बजे रात्रि स्थान ग्राम मोहगांव श्रीराम मंदिर बाजार चौक अंतर्गत थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0 में श्री राम मंदिर जो मानव निवास/सम्पत्ति अभिरक्षा में काम आता है, ताला तोड़कर प्रवेश कर प्रच्छन्न कर गृह अतिचार कारित किया एवं राम मंदिर से से दान पेटी एवं पीतल की घण्टी को मंदिर समिति की बिना सहमति के उसके कब्जे से बेईमानी के आशय से हटाकर चोरी किया जो कि भा0द0सं0 की धारा 457, 380 के तहत दण्डनीय अपराध है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रविकुमार पिता फूलचंद पंडिया उम्र 36 वर्ष साकिन मोहगांव ने दिनांक 12.01.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था कि रात्रि 09:45 बजे मंदिर के अध्यक्ष रूपेन्द्र शिव ने मोबाईल पर बताया कि श्री राम मंदिर का ताला तोड़कर अब्दुल सिकंदर मुसलमान ने मंदिर की घण्टी पीतल की तथा दान पेटी चोरी कर ले गया है यह बात संतोष अवधिया और दुकालदास, भीकमदास ने पकड़ा था जो झटका मारकर भाग गया है। तुम जल्दी मंदिर जाओ यह बात बताने पर वह श्री राम मंदिर बाजार चौक मोहगांव गया वहां संतोष अवधिया, भीकमदास, दुकालदास मिले जिन्होंने उसे बताया कि मंदिर में तोड़ फोड़ की आवाज आवाज आयी तो तीनों करीब 09:30 बजे गये थे। अब्दुल सिकंदर ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर मंदिर की घण्टी व दान पेटी चोरी कर ले गया है बताया तथा उन्होंने अब्दुल सिकंदर को पहचान लिया जो झटका देकर भाग गया की रिपोर्ट पर थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 07/10 धारा 457,380 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल

का नजरी नक्श बनया गया। फरियादी रविकुमार, रूपेन्द्र, संतोष, दुकालदास, भीकमदास, विजय बरैया, विजय कुरुलिया एवं यशवंत अवधिया के कथन लेख बद्ध किये गए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र धारा 457, 380 भादसं के तहत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

3. अभियुक्त अब्दुल सिकंदर ने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रकट किये गये तथ्य एवं परिस्थितियों को आरोपी ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 जा0फौ0 में अस्वीकार किया है। प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

1. क्या आरोपी अब्दुल सिकंदर ने दिनांक 12.01.2010 को समय करीब 21:30 बजे स्थान श्री राम मंदिर बाजार चौक मोहगांव आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में श्री राम मंदिर जो मानव/सम्पत्ति अभिरक्षा में काम आता है, ताला तोड़कर प्रवेश कर गृह प्रच्छन्न अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी अब्दुल सिकंदर ने श्री राम मंदिर से दान पेटी एवं पीतल की घण्टी मंदिर समिति की बिना सहमति के उसके कब्जे से बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी किया ?

#### —:सकारण निष्कर्ष:—

#### विचारणीय प्रश्न क0 1 से 2

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

4. प्रार्थी रविकुमार (अ0सा03) का कहना है कि घटना दिनांक 12 जनवरी 2010 को रात्रि 9:45 बजे मोहगांव राम मंदिर बाजार चौक की है। उसे फोन पर मंदिर अध्यक्ष रूपेन्द्र शिव ने बताया कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। जाकर देख लो। उसके बाद वह दीपक तथा गौरव और रंजीत के साथ मंदिर पहुँचा तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा था। दान पेटी और घण्टी नहीं थी, सामान अस्तव्यस्त था। भीकमदास (अ0सा04) और अन्य लोगों ने बताया कि आरोपी को आरोपी को भागते हुए देखें हैं। तदनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.3 दर्ज कराया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

5. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संतोष (अ0सा02) ने घटना की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि घटना ढेड़ वर्ष पूर्व रात्रि 9:30 बजे भीकमदास (अ0सा04) उसे राम मंदिर मोहगांव के सामने मिला था जिसने उसे मंदिर में आवाज आने की बात बतायी थी। उसके बाद दोनों मंदिर आये तो वहां ताला टूटा हुआ था। आरोपी दान पेटी और घण्टी लेकर भाग रहा था। जिसको पकड़कर मारा और गांव के लोगों के सामने पेश किया। पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौकानक्शा प्र.पी.2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त कथन की पुष्टि विजय कुमार (अ0सा06) ने की है जिसके अनुसार वह दुकान के ऊपर कमरे में था आवाज आने पर जाकर देखा तो लोग आरोपी को पकड़े थे और बताया कि उसने मंदिर में चोरी की है।

उसके बाद मंदिर जाकर देखा तो वहां दान पेटी और घण्टी नहीं थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष रूपेन्द्र शिव (अ0सा01) के अनुसार उसे फोन पर पता चला कि मंदिर में पीतल का घण्टी और दान पेटी की चोरी हुई है।

6. यशवंत (अ0सा07) का कथन है कि उसकी वार्ड नम्बर 6 मोहगांव में दुकान है जहां से मंदिर समिति ने पीतल का घण्टा और पेटी खरीदी थी जिसकी उसने 650/-रूपये की रसीद दी थी। उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.01.2010 को रात्रि 9:30 बजे राम मंदिर मोहगांव में चोरी की गयी थी परंतु क्या उक्त घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गयी थी इस संबंध में साक्ष्य विवेचना की जा रही है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भीकमदास (अ0सा04) के अनुसार घटना दो वर्ष पहले मोहगांव राम मंदिर की है। उसे सुनने में आया था कि मंदिर का ताला तोड़कर चोरी हुई है पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न किये जाने पर उसने अभियोजन कहानी से स्पष्ट इंकार किया है कि मंदिर से आवाज आने पर उसने संतोष (अ0सा02) के साथ जाकर देखा था तो आरोपी पेटी और घण्टी चोरीकर भाग रहा था।

7. घटना के अन्य साक्षी दुकालदास (अ0सा05) ने भी घटना से इंकार कर कथन किया है कि उसने आरोपी को भागते हुए नहीं देखा था विवेचक राजेन्द्र सिलेवार (अ0सा012) के अनुसार दिनांक 13.01.2010 को मलाजखण्ड थाने में पद स्थापना के दौरान उसे प्रकरण की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी जिसके उपरांत संतोष की निशानदेही पर घटना का मौकानक्शा प्र.पी.2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरोपी के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.4 लेखबद्ध कर आरोपी के बताये अनुसार स्टील का डब्बा जिसमें मां शारदा मण्डल मोहगांव लिखा था, राधाकृष्ण मंदिर की दान पेटी जो लाल स्याही से लिखी गयी थी, एक पीतल का घण्टा, पेटी में रखे सिक्के पांच रूपये के पांच, दो रूपये के सात, एक रूपये के तेरह, पचास पैसे के चार कुल चौवन रूपये गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 बनाया था। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल पर लोहे की सबल दस वालिस लम्बा, कए लोहे का ताला, एक लोहे का हथोड़ा जिसमें लकड़ी का बेस लगा हुआ था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.7 तथा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.6 बनाया था उक्त दस्तावेजों के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती मेमोरेण्डम के साक्षी सुरेन्द्र अ0सा0 08 ने उक्त कार्यवाही से इंकार कर जप्ती तथा मेमोरेण्डम पत्रक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। तथा प्रतिपरीक्षण में थाने में उक्त हस्ताक्षर के कथन किये हैं।

8. राकेश अ0सा011 ने जप्ती तथा मेमोरेण्डम कार्यवाही का समर्थन किया है। परंतु उक्त कार्यवाही मंदिर प्रांगण में होने के कथन किये हैं। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार दान पेटी और घण्टी अभियुक्त के बताये अनुसार उसके घर से जप्त किये गये थे। मंदिर प्रांगण से सबल ताला तथा हथोड़ा जप्ती के साक्षीगण पारस अ0सा09 तथा भूपेन्द्र अ0सा010 के अनुसार उक्त कार्यवाही थाना में की गयी थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संतोष अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किये हैं कि वे लोग आरोपी को पकड़कर गिरधारी और पप्पू के पास ले गये थे और दान पेटी और घण्टा उक्त व्यक्तियों को दे दिया था। पुलिस ने दान पेटी और घण्टा गिरधारीलाल से जप्त की थी। आरोपी के हाथ में हथोड़ा था गिरधारी ने आरोपी को डाटकर छोड़ दिया था। जबकि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भीकमदास अ0सा04 ने ऐसी किसी घटना से स्पष्ट इंकार किया है। विजय कुमार

अ0सा06 ने भी स्वीकार किया है कि आरोपी के हाथ में दान पेटी और घण्टी नहीं थी।

9. अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी चोरी कर भाग रहा था। जिसे लोगों ने पकड़ा था जिसके बाद आरोपी छूटकर भाग गया था। उक्त कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दान पेटी रखा व्यक्ति पकड़ने के बाद लोगों की भीड़ से दान पेटी तथा चुराई हुई चीजों के साथ बचकर निकल जाये। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संतोष अ0सा02 ने भी कथन किया है कि आरोपी को पकड़कर मारने के पश्चात चोरी की गयी चीजें गिरधारी और पप्पू को दे दी गयी थी। मेमोरेण्डम जप्ती साक्षी राकेश अ0सा011 ने भी उक्त कार्यवाही मंदिर प्रांगण में होने के कथन किये हैं। बचाव पक्ष द्वारा भी घटना के समय अभियुक्त के नशे की अवस्था में घर से विवाद होने के पश्चात मंदिर के बाहर आहाते में सोने के कथन किये हैं। उक्त तर्क कुछ मात्रा तक विश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि साक्ष्य अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाती है कि आरोपी के बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध कर उसके घर से चोरी की गयी वस्तुएं जप्त की गयी थीं, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अब्दुल सिकंदर ने दिनांक 12.01.2010 को करीब 21:30 बजे स्थान स्थान श्री राम मंदिर बाजार चौक मोहगांव में राम मंदिर का ताला तोड़कर प्रवेश कर मंदिर से दान पेटी एवं पीतल की घण्टी को बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की थी। अतः आरोपी अब्दुल सिकंदर को भा0द0स0 की धारा 457, 380 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति एक लोह का सब्बल, एक लोहे का हथोड़ा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किये जावें तथा शेष जप्त शुदा एक लोहे का ताला एक स्टील का डब्बा एक पीतल का घण्टा एवं नगद राशि 54 रुपये फरियादी/ श्री राम मंदिर समिति मोहगांव को विधिवत वापिस की जावे।

12. आरोपी अब्दुल सिकंदर के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.



सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)